

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 583 / 2008
संस्थान दिनांक 30.12.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

प्यारसिंग पिता झेतरिया आयु 42 वर्ष
निवासी- ग्राम कुन्दामाल, थाना ठीकरी
जिला - बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 26.11.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 186/2008 अंतर्गत 279, 337, 338, भा.द.सं. में दिनांक 30.12.2008 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 05.12.2008 को लगभग 10:30 बजे, लोक स्थान चकेरी के आगे छापरी फाटे के पास वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा पेश प्लस बिना नम्बर की जिसका जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10EL84J08940, इंजिन नम्बर HA10EB84J9707 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर रामगोपाल का मानवजीवन संकटापन्न करने तथा उक्त वाहन से आहत रामगोपाल को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 338, भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05.12.2008 को आहत रामगोपाल उसके भाई की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 09 एम.एफ. 2853 प्लेटिना बजाज से गाँव चोरी से वापस बड़वानी जा रहा था कि प्रातः 10:30 बजे छापरी फाटे के पास रोड़ पर अंजड़ की ओर से एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति बैठकर आ रहे थे जिसके चालक द्वारा मोटरसाइकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे रामगोपाल मोटरसाइकिल सहित गिर गया जिससे उसे दाहिने पैर में चोट आई तथा पैर की हड्डी टूट गई व शरीर पर भी चोटें आई। पुलिस ने फरियादी/रामगोपाल की दिनांक 05.12.2008 को अस्पताल से प्राप्त प्री. एम.एल.सी. की जाँच एवं रामगोपाल के कथनों के आधार पर वाहन मोटरसाइकिल पेशन प्लस के चालक प्यारसिंग के विरुद्ध अपराध क्रमांक 186/2008 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 7 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी गजेन्द्र की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने घटनास्थल से वाहन हीरोहोण्डा पेशन प्लस बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10EL84J08940, इंजिन नम्बर HA10EB84J9707 को जप्त कर प्रदर्शपी 3 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 8 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.12.2008 को लगभग 10:30 बजे, लोक स्थान चकेरी के आगे छापरी फाटे के पास वाहन मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा पेशन प्लस बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10EL84J08940, इंजिन नम्बर HA10EB84J9707 को उपेक्षापूर्णदंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर रामगोपाल का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत रामगोपाल को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में बालाराम (अ.सा.1), गजेन्द्र (अ.सा.2) अब्दुल रहमान (अ.सा.3), डॉक्टर जे.पी. पंडित (अ.सा.4) एवं उपनिरीक्षक के.एल. वरकड़े (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में गजेन्द्र असा 2 का कथन है कि 3-4 माह पूर्व पुलिस वाले उसकी दुकान पर आये थे और उसे पुलिस वालों ने कहा था कि दुर्घटना हो गई है और हस्ताक्षर कर दो, तब पुलिस ने उससे प्रदर्शपी 3 एवं 4 पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई थी तथा उसके सामने कोई मोटरसाइकिल जप्त नहीं हुई थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि 6-7 माह पूर्व 2 मोटरसाइकिल की आमने-सामने से टक्कर हो गई थी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर की तथा दूसरी मोटरसाइकिल का क्रमांक एम.पी. 09 एफ.एफ. 2853 था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने एक बिना नम्बर की मोटरसाइकिल जप्त की थी यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उक्त दस्तावेज उसे पढ़कर नहीं सुनाये थे।

08. डॉ. जे.पी. पंडित असा 4 ने दिनांक 05.12.2008 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में आहत रामगोपाल पिता लक्ष्मण यादव निवासी— नवलपुरा बड़वानी का मेडिकल परीक्षण करने पर उसके दाहिने पैर पर कटा हुआ घाव तथा दाहिनी जांघ पर एक सूजन की चोट होना पाई थी। साक्षी ने उसका मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चलाते समय कोई व्यक्ति स्वयं गिर जाये तो इस प्रकार की चोट आना संभव है।

09. के.एल. वरकड़े असा 5 का कथन है कि उसने दिनांक 05.12.2008 को थाना अंजड़ में अस्पताल अंजड़ से आहत रामगोपाल पिता लक्ष्मण निवासी नवलपुरा बड़वानी की मेडिकल रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने के बाद ही जाँच कर अपराध क्रमांक 186/08 अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्शपी 7 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गजेन्द्र की निशांदेही से प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने घटनास्थल से हीरोहोण्डा पेशन मोटरसाइकिल बिना क्रमांक की जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10EL84J08940, इंजिन नम्बर HA10EB84J9707 प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किया था तथा अभियुक्त से मोटरसाइकिल का बिल साईनाथ ऑटो मोबाईल ठीकरी का तथा बीमा पॉलिसी तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 8 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा जप्त मोटरसाइकिल का मेकैनिकल परीक्षण करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त प्यारसिंह की रिपोर्ट के आधार पर भी फरियादी रामगोपाल के विरुद्ध भी दुर्घटना का प्रकरण दर्ज हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे फरियादी रामगोपाल ने मोटरसाइकिल का क्रमांक नहीं बताया था तथा वह सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 7 में जिस मोटरसाइकिल का नम्बर लिखाया है वह फरियादी की मोटरसाइकिल का है तथा जिस मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी उसका क्रमांक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाया है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि किसी भी साक्षी ने उसे अभियुक्त द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाइकिल से फरियादी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के संबंध में उसे कथन नहीं दिये थे।

10. बालाराम असा 1 ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है तथा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के सभी सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 1 का कथन देने से भी इंकार किया है।

11. अब्दुल रहमान असा 3 ने थाना अंजड़ से नई मोटरसाइकिल पेशन प्रो का मेकेनिकल जाँच करने पर उसे ठीक अवस्था में पाया था। साक्षी ने मेकेनिकल जाँच रिपोर्ट प्रदर्शपी 5 भी प्रमाणित की है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव का स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखी गई।

12. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है यहाँ तक कि प्रकरण के फरियादी रामगोपाल को भी अभियोजन की ओर से न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया और अदम पता घोषित किया गया। परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर फरियादी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है तथा फरियादी स्वयं का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व लोक मार्ग पर हीरोहोण्डा पेशन प्रो. बिना नम्बर को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कर रामगोपाल को घोर उपहति कारित की।

13. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त प्यारसिंह के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त प्यारसिंह को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 338 भा.दं.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पेशन प्रो हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल बिना क्रमांक की जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10EL84J08940, इंजिन नम्बर HA10EB84J9707 दिनांक 12.12.2008 को उसके पंजीकृत स्वामी प्यारसिंग पिता झेतरिया, निवासी-ग्राम कुदामाल तहसील ठीकरी जिला बड़वानी मप्र. को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी